

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(37)PMVMY-CAS /ICDS/18/ 145068 - 372

जयपुर, दिनांक : 10/8/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त (राजस्थान)

विषय:- PMVMY अन्तर्गत लाभार्थियों के फॉर्म एंट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि हो तो सुधार हेतु सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत क्रम में लेख है कि PMVMY अन्तर्गत लाभार्थियों के फॉर्म एंट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि होने के कारण लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किशत का लाभ नहीं मिलने कारण शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि PMVMY-CAS अन्तर्गत लाभार्थियों के फॉर्म एंट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि सुधार हेतु निम्नानुसार प्रारूप में (LMP व ANC की सूचना अलग-अलग प्रारूप में) सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :-

तालिका 1: LMP दिनांक को सही कराने का प्रारूप

क्र संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी का नाम	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का आधार नंबर	PMVMY.CAS में दर्ज LMP दिनांक	सही LMP दिनांक
------------	-------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	----------------

तालिका 2: ANC दिनांक को सही कराने का प्रारूप

क्र संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी का नाम	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का आधार नंबर	PMVMY.CAS में दर्ज ANC दिनांक	सही ANC दिनांक
------------	-------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	----------------

आप सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि PMVMY-CAS में आज दिनांक तक लम्बित फॉर्म का अनुमोदन तथा Correction Queue में लम्बित फॉर्म को सही करावें। साथ ही लाभार्थियों के फॉर्म एंट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि की सूचना उपरोक्त प्रारूप में तैयार कर संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभागीय ई-मेल आईडी pmmvy.wcdraj@gmail.com पर तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि उक्त लाभार्थियों को योजना की सभी किशतों का लाभ मिल सकें।


निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(37)PMVMY-CAS /ICDS/18/ 145373 - 406

जयपुर, दिनांक : 10/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त सीडीपीओ कार्यालयों से उपरोक्त सूचना प्राप्त कर निदेशालय, आईसीडीएस को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


राज्य प्रभारी अधिकारी (PMVMY)